राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (57) आकाशि/अनु/08–09/9081 दिनांक 31 जुलाई, 2008

आदेश

सत्र 2008–09 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तो पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	57	गुरू हरगोबिंद साहिब शिक्षा प्रबंधक समिति, सी.सी. हैड़ त0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर	गुरू हरगोबिंद साहिब, सी. सी. हैड़, त0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित, भूगोल, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर एप्लीकेशन

1. **छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**
2. सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
3. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे ।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि–भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा ।
7. संस्था को 30 जून, 2008 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/ दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि मे ही आवेदन करना होगा ।
12. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
13. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
14. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
15. **सत्र 2008–09 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न होने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।**

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप--4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय **(रजिस्टर्ड ए.डी.)**
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्याालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।